अपील संख्या 404/18

आरसीएमएस संख्या 2017/00068

बउनवानी:—हरफूल पुत्र प्रहलाद गुर्जर निवासी बासडा, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 100/2016 निर्णय दिनांक 29.2.2016 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :— 1. श्री आबिद अली — वकील अपीलान्ट

2. श्री महावीर चौधरी — पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :— दिनांक 18.3.2019

अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 100/2016 में पारित निर्णय दिनांक 29.2.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरूद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित कि गया है के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2072 में वाके ग्राम बांसडा की चाही—3 भूमि आराजी ख0न0 32 रकबा 0.51 है0 पर गेंहूँ की फसल काश्त अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जॉच नही की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत गलत व झूँठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि मामलें में वास्तविकता यह है कि उक्त विवादित भूमि के पुराने ख0न0 01 मे 1/5 नम्बर थे जिसका सम्पूर्ण रकबा 6 बीघा था ये नम्बरान एक ही स्थान पर थे किन्तु सेटलमेंट द्वारा इस ख0न0 1/5 का तीन जगह विभाजन कर दिया ओर इस पूरे 6बीघा रकबे का 1/3 भाग के नवीन ख0न0 314 व 315 बना दिया ओर दोनो नम्बरों को दूसरे माल में एक किलोमीटर दूर बता दिया जो इस समय पुखराज पुत्र श्रीनारायण निवासी बांसडा के कब्जे काश्त मे तथा पुराने ख0न0 01 जिसका एक भाग 1/5 था उसको सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक घोषित कर दिया था जिसको संशोधित करवाने बाबत 136 एलआरएक्ट के तहत प्रकरण उपजिला चौथ का बरवाडा के न्यायालय मे पेश किया गया था जो निरस्त हो गया था जिसकी अपील वर्तमान में श्रीमान अति0सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे अपीलान्ट को अपने पक्ष मे न्याय होने की पूरी उम्मीद है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थी का समुचित अवसर नही दिया गया यदि सुनवायी का अवसर दिया जाता तो अपीलान्ट वस्तुस्थिति से अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवा देता। इसलिए अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास

अपीलान्ट का आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.6.2016 को अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर गांव में आने पर घर वालो के बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्ट के विरूद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा–5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्ट ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्ट की सुनवायी का जहॉ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्ट व्यक्तिशः करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नही किया, जिसके आधार पर अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जॉच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जॉच आदेश जेर अपील पारित किया है। जहॉ तक 136 एलआरएक्ट के प्रकरण का प्रश्न है तो उक्त प्रकरण उपजिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है ।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहूॅचता हूॅ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्ट को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्ट को जारी नोटिस की पुश्त पर अपीलान्ट की व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहॉ तक अपीलान्ट के पश्चात्वर्ति अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर हो जाती है। किन्तु अपीलान्ट का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के पुराने ख0न0 01 मे 1/5 नम्बर थे जिसका सम्पूर्ण रकबा 6 बीघा था ये नम्बरान एक ही स्थान पर थे किन्तु सेटलमेंट द्वारा इस ख0न0 1/5 का तीन जगह विभाजन कर दिया ओर इस पूरे 6 बीघा रकबे का 1/3 भाग के नवीन ख0न0 314 व 315 बना दिया ओर दोनो नम्बरों को दूसरे माल में एक किलोमीटर दूर बता दिया तथा पुराने ख0न0 01 जिसका एक भाग 1/5 को सेटलमेंट विभाग द्वारा सिवायचक घोषित कर दिया था जिसको संशोधित करवाने बाबत 136 एलआरएक्ट के तहत प्रकरण वर्तमान में श्रीमान अति0सम्भागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय मे विचाराधीन है। कथन के समर्थन में अति0 सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के न्यायालय मे प्रस्तुत अपील की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है। चूंकि विवादित ख0न0 के संबंध मे राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती बाबत सक्षम न्यायालय मे वाद विचाराधीन है इसलिए न्याय के प्ररिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझता हूॅ।

अतः अपील अपीलान्ट सजा की सीमा तक स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक खारिज किया जाता है। बेदखली व शास्ति आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.06 13:14:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: